कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G&SSA) MADHYA PRADESH, GWALIOR

दिनांकः– 08/05/2020

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER-278

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 15(1)(c) के अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी को किसी भी निकाय में, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, निर्वाचित पद धारण करने अथवा निर्वाचित पद हेतु किसी उम्मीदवार / उम्मीदवारों के पक्ष में मतार्थन / प्रचार करने के लिए शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्तमान में मुख्यालय के पत्र क्रमांक कं 59- स्टाफ हकदारी(नियम) / ए. आर / 04–2015 दिनांक 28-02-2020 के द्वारा प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ सं.11013 / 1 / 2016–स्थापना क–III डेस्क दिनांक 27.02.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को किसी भी निकाय में चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, निर्वाचित पद धारण करने के लिये दो कार्यकाल अथवा पॉच वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये ही स्वीकृति दी जा सकती है ।

साथ ही ऐसे मामलो में जहॉ सरकारी कर्मचारियों ने दिनांक 05.08.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व निर्वाचित पद का कार्यग्रहण कर लिया है, उन्हे ऐसे मामलों जहां भ्रष्टाचार के आरोप और प्रतिकूल लेखापरीक्षा पैरा आदि हों, को छोडकर उनके मौजूदा कार्यकाल की पूरी अवधि को पूरा करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

अतः कार्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे कार्यालय में / के बाहर कोई निर्वाचित पद धारण कर रहे हो जिसकी शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की हो, तो तत्काल भ्रष्टाचार के आरोप और प्रतिकूल लेखापरीक्षा पैरा आदि सहित संपूर्ण जानकारी के साथ कार्यालय में आवेदन (संलग्न प्रपत्र के साथ) प्रस्तुत करें एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करें अन्यथा बाद में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

As per CCS(Conduct) Rule 15(1)(c), previous sanction of the Government is necessary for holding an elective office, or canvass for a candidate or candidates for an elective office, in any body, whether incorporated or not. Now, as per DoPT O.M. F.No. 11013/1/2016-Estt.A-III dated 27.02.2020 received vide Headquarters' letter No.59-Staff Hakdari (Niyam)/A.R/04-2015 dated 28.02.2020, a Government servant may be allowed to hold elective office in any body, whether incorporated or not, for period of two terms or for a period of 5 years, whichever is earlier, for which prior sanction would be required when a Government servant contests an election in such body, as per existing rules.

In cases where the Government servants have assumed charge of elected post prior to the issuing of O.M. dated 05.08.2019, they may be allowed to complete the full period of their current tenure, except in cases where there are charges of corruption and adverse audit paras etc.

Therefore, all officers/employees of the office who are holding an elective office in any body, whether incorporated or not, in the office/ outside the office, are directed to submit application (with attached proforma) along with complete information, including charges of corruption and adverse audit paras etc, and obtain

ex post facto sanction. Otherwise, in case of any such case coming to light later on, action would be taken against them.

प्रधान महालेखाकार के आदेश से जारी।

उपमहालेखाकार/प्रशासन

दिनांकः–08/05/2020

प्रतिलिपि– ई ऑफिस के माध्यम से –

1. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, ए.जी.सी.आर.बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002 ।
2. सचिव, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्रा लेखापरीक्षा), म.प्र., ग्वालियर ।
3. सचिव, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462 011।
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, उप महालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र–1, 2 एवं 3।
5. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462 011।
6. उप निदेशक (केन्द्रीय), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, ग्वालियर शाखा।
7. उप निदेशक (केन्द्रीय प्राप्ति), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, ग्वालियर शाखा।
8. वरि.उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)प्रथम म.प्र., लेखाभवन, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत प्रेषित ।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन–12, फास (एम), ओ.ए.डी.–21, सामाजिक क्षेत्र–1(मुख्यालय), ओ.ए.डी.(एम) एवं ओ.ए.डी.–11, ई.सी.पी.ए.।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य स्थापना, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, ग्वालियर शाखा ।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462 011।
12. महामंत्री, सीनियर ऑडिट ऑफीसर एवं ऑडिट ऑफीसर एसोसिएशन, ग्वालियर।
13. महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
14. महामंत्री/ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
15. श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन –14 को इन्टरनेट से संबंधित कार्य हेतु।

<u>हार्ड कॉपी के माध्यम से</u>

1. - **सूचना पटल**
2. - **गार्ड फाइल (तीन प्रतियो में)**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन–11